



Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continuous Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 46 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
99	प्रेमलता देवी , पिता-राजेन्द्र प्रसाद, जाति- कायस्थ	206/1191		0	11	0		5	1 / 98
		475		0	23	0			
		647		0	23	0.39			
99	श्री फनीन्द्र प्रसाद , पिता-स्व० जगरनाथ प्रसाद , जाति- ...	647		0	34	2.81	5	धारा 87 एक्ट एवं CPC 152 के आदेशानुसार वाद संख्या 286 OF 2005 के अनुसार	2 / 114
99	श्रीमती सुमित्रा देवी , पति-श्री सुरेश प्रसाद साहु , जाति- तेली	647		0	4.23	0	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1173/2020 - 2021	6 / 59
99	श्रीमति संगीता कुमारी , पति-श्री रवि कुमार चौरसिया , जाति- .	647		0	8.66	0	8	नामान्तरण मुकदमा संख्या 2380/2020 - 2021	6 / 87
99	SRI VINOD KUMAR SINGH , पिता-LATE BISHNU DEO SINGH , जाति- राजपुत	647		0	3.3	0	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1089/2021 - 2022	7 / 97

99	श्री अभिजीत भट्टाचार्य , पिता-श्री प्रकाश भट्टाचार्य, जाति- ब्राह्मण	647		0 ऐ	2.47 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1217/2021 - 2022	8 / 10
99	श्रीमती बेबी देवी , पति-श्री नीरज कुमार, जाति- --	647		0 ऐ	2.47 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1756/2022 - 2023	26 / 6
99	श्री प्रकाश कुमार रजक एवं श्री महेन्द्र कुमार रजक , पिता-श्री भोला रजक, जाति- --	647		0 ऐ	3.3 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1755/2022 - 2023	26 / 8
99	श्रीमती सुनीता देवी , पति-श्री महेंद्र रवानी, जाति- --	647		0 ऐ	3.3 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1757/2022 - 2023	26 / 14
99	SMT MITU DEVI , पति-AJAY KUMAR RAJAK , जाति- ----	647		0 ऐ	2.47 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1914/2022 - 2023	26 / 22
99	SANJAY KUMAR , पिता-MUNNI LAL RAJAK , जाति- ----	647		0 ऐ	2.47 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1931/2022 - 2023	26 / 23

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

3/12/2023

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।